राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 130/2017
तारीख दायरः 15.11.2017

उनवान

1 जगदीश पिता गोरूलाल जाति बंजारा निवासी मांगू की बालद (नयानगर) तहसील बिजौलिया।

2 कमला देवी पत्नि गौरूलाल जाति बंजारा निवासी मांगू की बालद (नयानगर) तहसील बिजौलिया।

वादीगण

बनाम

1 हरिसिंह पिता भूरसिंह जाति राजपुत निवासी धामनियां तहसील माण्डलगढ़।

2 लक्ष्मणसिंह पिता भूरसिंह जाति राजपुत निवासी धामनियां तहसील माण्डलगढ़।

3 पहाड़सिंह पिता भूरसिंह जाति राजपुत निवासी धामनियां तहसील माण्डलगढ़।

4 लाली पुत्री भूरसिंह जाति राजपुत निवासी धामनियां तहसील माण्डलगढ़।

5 समुन्द्रसिंह पिता नन्दसिंह जाति राजपुत निवासी धामनियां तहसील माण्डलगढ़ मृतक जरिये विधिक वारिसान्:–

5.1 शैतानसिंह पिता समुन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया।

5.2 शंकरसिंह पिता समुन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया।

5.3 दशरथसिंह पिता समुन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया।

5.4 गजेन्द्रसिंह पिता समुन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया।

5.5 अनोपकंवर पत्नि समुन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया।

6 सीतादेवी पत्नि कैलाश जाति जाट निवासी धामनियां तहसील माण्डलगढ़।

7 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

8 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामनियां तहसील माण्डलगढ़।

9 ग्राम सेवा सहकारी समिति धामनियां जरिये व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति धामनियां तहसील माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता वादीगण)
2. प्रतिवादीगण 1 से 9 तक एकतरफा कार्यवाही।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक : [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chauc
Date: 2021.09.29 17:36:19 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वा[illegible] धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाद नियमि[illegible] दिनांक 31.03.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम धाम[illegible] सरहद में स्थित आराजी संख्या 576, 618, 619 किता 03 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा एव आराजी संख्या 617, 620, 621, 623, 624, 634, 2117/617 किता 07 रकबा 14 बी[illegible] 15 बिस्वा भुमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार, बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ को बंटवाड़ा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़

To Be Continue ....

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 03.08.2021 को अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2021/1425 दिनांक 22.07.20210 से विभाजन प्रस्ताव मय ट्रेस जमाबंदी के प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से वादी एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

अतः वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

क्र स	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	कमला देवी पत्नि गोरूलाल 35/41, गौरू पिता धन्ना 02/41, जगदीश पिता गोरू 04/41 बंजारा सा. मांगू की बालद (नयानगर) तहसील बिजौलिया खातेदार।	धामनियां	617 620 624 2117/617	1.1129 0.2227 0.0728 0.2509	13.95 2.89 0.90 3.27
	योग		किता 04	**1.6593**	**21.01**
2	कमलादेवी पत्नि गोरू 03/41, जगदीश पिता गोरू 01/41 बंजारा सा. मांगू की बालद (नयानगर) तहसील बिजौलिया खातेदार।	धामनियां	576 618 619	0.4694 0.2104 0.1052	1 2.74 1.36
	योग		किता 03	**0.7850**	**04.10**
3	गजेन्द्रसिंह, दशरथसिंह, शंकरसिंह, शैतानसिंह पिता समुन्द्रसिंह, अनोपकंवर (सुरजकंवर) पत्नि समुन्द्रसिंह राजपुत सा. देह. खातेदार रहन SBI धामनियां।	धामनियां	621 623 624/1 619/2 620 634	0.3157 0.1781 0.0567 0.0243 0.0809 0.0162	4.11 3.31 0.71 0.32 1.05 1
	योग		किता 06	**0.6719**	**09.50**
4	पहाड़सिंह पिता भूरसिंह राजपुत, लाली पुत्री भूरसिंह राजपुत सा. देह खातेदार।	धामनियां	617/1 620/1	0.0688 0.0121	0.79 0.17
	योग		किता 02	**0.0809**	**0.96**
5	पहाड़सिंह, लक्ष्मणसिंह, हरिसिंह, लाली पिता भूरसिंह राजपुत सा. देह खातेदार।	धामनियां	619/1	0.1942	2.53
	योग		किता 01	**0.1942**	**2.53**
6	गजेन्द्रसिंह, दशरथसिंह, शंकरसिंह, शैतानसिंह पिता समुन्द्रसिंह, अनोपकंवर (सुरजकंवर) पत्नि समुन्द्रसिंह 29/30, पहाड़सिंह, लाली पिता भूरसिंह राजपुत 01/30 सा. देह. खातेदार।	धामनियां	622	0.0486	1
	योग		किता 01	**0.0486**	**1**

उक्तानुसार खातेदारो के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया व सुनाया गया।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:36:19 IST
Reason: SelfAttested